The Hindu Plus Summary : 05.02.2024

मेन्स मास्टर

प्रसंग:

• 1 फरवरी, 2024 को वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण द्वारा प्रस्तुत भारत में हालिया केंद्रीय बजट ने 2024-25 वित्तीय वर्ष के लिए सकल घरेलू उत्पाद के 5.1% के राजकोषीय घाटे के लक्ष्य की घोषणा करके कई अर्थशास्त्रियों को आश्चर्यचकित कर दिया। यह लगभग 5.3% - 5.4% के अपेक्षित लक्ष्य से कम था।

• चालू वर्ष (2023-24) के संशोधित अनुमानों में भी सुधार दिखा, जिससे राजकोषीय घाटा जीडीपी के 5.8% पर आ गया।

राजकोषीय समेकन क्या है और यह महत्वपूर्ण क्यों है:

• राजकोषीय समेकन एक सरकार द्वारा अपने राजकोषीय घाटे, उसके राजस्व और व्यय के बीच के अंतर को कम करने के लिए कार्यान्वित नीतियों और उपायों के एक सेट को संदर्भित करता है।

• **उच्च राजकोषीय घाटे के कई नकारात्मक परिणाम हो सकते हैं:**

◦ **उच्च ब्याज दरें:** जब सरकार अपने घाटे को पूरा करने के लिए अधिक धन उधार लेती है, तो यह निजी उधारकर्ताओं के साथ प्रतिस्पर्धा करती है, जिससे सभी के लिए ब्याज दरें बढ़ जाती हैं। यह निवेश को हतोत्साहित कर सकता है और आर्थिक विकास में बाधा उत्पन्न कर सकता है।

◦ **बढ़ी हुई मुद्रास्फीति:** घाटे को पूरा करने के लिए केंद्रीय बैंक द्वारा अत्यधिक धन की छपाई से मुद्रास्फीति बढ़ सकती है, जिससे नागरिकों की क्रय शक्ति कम हो सकती है और उनके जीवन स्तर पर असर पड़ सकता है।

◦ **अस्थिर ऋण बोझ:** एक उच्च और बढ़ता राजकोषीय घाटा एक अस्थिर ऋण बोझ का कारण बन सकता है, जिससे सरकार के लिए अपने भविष्य के दायित्वों को पूरा करना मुश्किल हो जाता है और संभावित रूप से वित्तीय संकट पैदा हो सकता है।

• **इसके विपरीत, राजकोषीय समेकन प्राप्त करने से कई लाभ मिलते हैं:**

◦ **कम ब्याज दरें:** सरकारी उधारी कम होने से ब्याज दरें कम होती हैं, जिससे निवेश और आर्थिक गतिविधि को बढ़ावा मिलता है।

◦ **नियंत्रित मुद्रास्फीति:** कम घाटा अत्यधिक धन मुद्रण की आवश्यकता को कम करता है, मुद्रास्फीति को नियंत्रित करने और अर्थव्यवस्था को स्थिर करने में मदद करता है।

◦ **बेहतर साख योग्यता:** कम घाटे और ऋण वाली सरकार को अधिक साख योग्य माना जाता है, जिससे उधार लेने की लागत कम होती है और विदेशी निवेश आकर्षित होता है।

अंतरिम बजट में चुनौतियाँ और अवसर:

• 2024-25 में राजकोषीय घाटे के लिए सरकार के 5.1% के लक्ष्य को कुछ अर्थशास्त्री महत्वाकांक्षी मानते हैं। वे संभावित चुनौतियों पर प्रकाश डालते हैं:

◦ **कर राजस्व बढ़ाना:** कर दरों में वृद्धि या कर आधार का विस्तार आर्थिक गतिविधि को धीमा कर सकता है, जिससे आर्थिक विकास को प्रभावित किए बिना वांछित राजस्व वृद्धि हासिल करना मुश्किल हो जाता है।

◦ **व्यय कम करना**: सब्सिडी और अन्य आवश्यक खर्चों में कटौती करना राजनीतिक रूप से अलोकप्रिय हो सकता है और समाज के कमजोर वर्गों पर प्रभाव डाल सकता है।

हालाँकि, इस लक्ष्य का समर्थन करने के अवसर भी हैं:

◦ **आर्थिक विकास**: एक स्वस्थ आर्थिक विकास दर को बनाए रखने से कर दरों को बढ़ाए बिना स्वाभाविक रूप से कर राजस्व में वृद्धि हो सकती है, जिससे व्यवसायों और व्यक्तियों दोनों पर बोझ कम हो सकता है।

◦ **व्यय को सुव्यवस्थित करना:** सरकारी खर्च में दक्षता में सुधार और व्यर्थ प्रथाओं को समाप्त करने से आवश्यक सेवाओं को प्रभावित किए बिना संसाधनों को मुक्त किया जा सकता है।

निष्कर्ष:

· भारत की दीर्घकालिक आर्थिक स्थिरता और विकास के लिए राजकोषीय सुदृढ़ीकरण महत्वपूर्ण है। सरकार के महत्वाकांक्षी लक्ष्य की सफलता राजस्व को प्रभावी ढंग से बढ़ाने, व्यय को नियंत्रित करने और मजबूत आर्थिक गति बनाए रखने के बीच संतुलन बनाने की क्षमता पर निर्भर करेगी।

बजट में सौर उर्जा

प्रसंग:

• वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने 1 करोड़ घरों में छत पर सौर पैनल स्थापित करने की योजना का प्रस्ताव रखा है, जिससे उन्हें सालाना ₹15,000 की बचत होगी।

पृष्ठभूमि:

• मौजूदा रूफटॉप सौर सब्सिडी 40% तक कवर करती है, बाकी उपभोक्ता वहन करते हैं।

• नई योजना में सार्वजनिक क्षेत्र के बिजली उद्यमों से संबद्ध निजी डेवलपर्स द्वारा 60% सब्सिडी और वित्तपोषण का प्रस्ताव है।

• नेट-मीटरिंग अधिशेष बिजली को ग्रिड में वापस बेचने की अनुमति देती है।

ऊर्जा सुरक्षा:

• **जीवाश्म ईंधन पर निर्भरता कम:** रूफटॉप सोलर आयातित जीवाश्म ईंधन पर निर्भरता कम करता है, जिससे पारंपरिक ऊर्जा स्रोतों से जुड़े मूल्य अस्थिरता और भू-राजनीतिक जोखिम कम हो जाते हैं। यह भारत की ऊर्जा स्वतंत्रता और लचीलेपन को मजबूत करता है।

• **बढ़ी हुई ग्रिड स्थिरता:** विकेंद्रीकृत सौर ऊर्जा उत्पादन केंद्रीय बिजली संयंत्रों पर चरम मांग को कम करके, आउटेज और ट्रांसमिशन घाटे को कम करके ग्रिड स्थिरता में सुधार कर सकता है। यह स्थानीय समुदायों को अपनी ऊर्जा आवश्यकताओं का प्रबंधन करने के लिए भी सशक्त बनाता है।

• **ऊर्जा मिश्रण का विविधीकरण:** ऊर्जा मिश्रण में सौर ऊर्जा को एकीकृत करने से एकल स्रोत पर निर्भरता कम हो जाती है, जिससे अधिक विविध और लचीली ऊर्जा प्रणाली तैयार होती है। यह ईंधन की कीमत में उतार-चढ़ाव या विशिष्ट ऊर्जा स्रोतों में व्यवधान से जुड़े जोखिमों को कम करता है।

• **बेहतर वायु गुणवत्ता और जलवायु परिवर्तन शमन:** सौर ऊर्जा उत्पादन शून्य उत्सर्जन पैदा करता है, स्वच्छ हवा में योगदान देता है और ग्रीनहाउस गैस उत्सर्जन को कम करता है। यह भारत की जलवायु परिवर्तन प्रतिबद्धताओं के अनुरूप है और एक स्थायी ऊर्जा भविष्य को बढ़ावा देता है।

गुणक प्रभाव:

• **रोजगार सृजन:** यह योजना सौर पैनल निर्माण, स्थापना, रखरखाव और वित्तपोषण में महत्वपूर्ण रोजगार के अवसर पैदा कर सकती है। यह स्थानीय अर्थव्यवस्थाओं को बढ़ावा दे सकता है और समुदायों को सशक्त बना सकता है, खासकर ग्रामीण क्षेत्रों में।

• **आर्थिक विकास:** घरेलू सौर उत्पादन में वृद्धि निवेश, बुनियादी ढांचे के विकास और निर्यात क्षमता के माध्यम से आर्थिक विकास को प्रोत्साहित कर सकती है। यह भारत के समग्र आर्थिक विकास और प्रतिस्पर्धात्मकता में योगदान दे सकता है।

' **तकनीकी प्रगति**: यह पहल सौर प्रौद्योगिकियों में अनुसंधान और विकास को प्रोत्साहित कर सकती है, जिससे लागत में कमी और दक्षता में सुधार हो सकता है। इससे न केवल भारत को बल्कि वैश्विक स्वच्छ ऊर्जा परिवर्तन को भी लाभ हो सकता है।

• **ऊर्जा सामर्थ्य**: रूफटॉप सोलर को व्यापक रूप से अपनाने से घरों और व्यवसायों के लिए बिजली के बिल में कमी आ सकती है, जिससे खर्च करने योग्य आय में वृद्धि होगी और जीवन स्तर में सुधार होगा। इससे उपभोक्ता खर्च और आर्थिक गतिविधि को बढ़ावा मिल सकता है।

• **ऊर्जा साक्षरता और जागरूकता:** योजना नवीकरणीय ऊर्जा और इसके लाभों के बारे में सार्वजनिक जागरूकता बढ़ा सकती है, व्यापक रूप से अपनाने को प्रोत्साहित कर सकती है और जिम्मेदार ऊर्जा खपत प्रथाओं को बढ़ावा दे सकती है। यह भारत के लिए अधिक टिकाऊ ऊर्जा भविष्य में योगदान दे सकता है।

चुनौतियाँ:

• महत्वपूर्ण डेटा वाली राज्य बिजली वितरण कंपनियों (डिस्कॉम) को बाहर करने से कार्यान्वयन में बाधा आ सकती है।

• कम खपत (300 यूनिट/माह) वाले पात्र परिवारों को ढूंढना मुश्किल हो सकता है।

• पिछले छत सौर लक्ष्य (40 गीगावॉट) कम हो गए हैं, केवल 12 गीगावॉट स्थापित किए गए हैं।

• राज्यों को समायोजित करना और पिछली बाधाओं से बचना सफलता के लिए महत्वपूर्ण है।

पश्चिमी गोलार्ध:

• सुचारू कार्यान्वयन के लिए डिस्कॉम को शामिल करने और प्रोत्साहित करने की योजना में बदलाव करें।

• व्यापक प्रभाव के लिए कम खपत वाले घरों से परे पात्रता का विस्तार करने पर विचार करें।

• पिछली चुनौतियों का समाधान करें और महत्वाकांक्षी लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए कुशल निष्पादन सुनिश्चित करें।

पंचायतें अपने राजस्व का केवल 1% करों के माध्यम से अर्जित करती हैं

मुख्य निष्कर्ष:

• पंचायतें केंद्र और राज्य सरकारों के अनुदान पर बहुत अधिक निर्भर करती हैं, उनका राजस्व का केवल 1% उनके स्वयं के करों से आता है।

• यह निर्भरता सीमित वित्तीय स्वायत्तता और उच्च अधिकारियों के संभावित हस्तक्षेप की ओर ले जाती है।

• विभिन्न राज्यों में व्यापक भिन्नताएं मौजूद हैं, केरल और पश्चिम बंगाल में प्रति पंचायत उच्चतम औसत राजस्व प्रदर्शित होता है, जबकि कुछ राज्यों में प्रति पंचायत ₹6 लाख से भी कम राजस्व प्राप्त होता है।

• परिणामस्वरूप, अपने-अपने राज्य के राजस्व में पंचायतों की हिस्सेदारी न्यूनतम बनी हुई है, जो अधिक विकेंद्रीकरण और वित्तीय सशक्तिकरण की आवश्यकता को उजागर करती है।

• **राजस्व स्रोत:**
  - कर: 1% (पेशा और व्यापार, भूमि राजस्व, आदि)
  - गैर-कर राजस्व: 4% (ब्याज, कार्यक्रम)
  - केंद्र सरकार अनुदान: 70%
  - राज्य सरकार अनुदान: 23%

' चुनौतियाँ:

- अनुदान पर निर्भरता के कारण सीमित वित्तीय स्वायत्तता।
- उच्च अधिकारियों का हस्तक्षेप संभावित।
- राज्यों में संसाधनों का असमान वितरण।

• **संभव समाधान:**
- अधिक विकेंद्रीकरण को बढ़ावा देना और स्थानीय नेताओं को सशक्त बनाना।
- पंचायतों को विविध राजस्व सृजन विकल्प तलाशने के लिए प्रोत्साहित करना।
- संसाधन आवंटन में राज्य-स्तरीय असमानताओं को संबोधित करें।

उत्तराखंड के समान नागरिक संहिता पर

प्रसंग:

• उत्तराखंड विधानसभा अपने फरवरी सत्र के दौरान समान नागरिक संहिता (यूसीसी) विधेयक पर विचार करने और संभावित रूप से पारित करने के लिए तैयारी कर रही है।

• यह कार्रवाई राज्य सरकार के पिछले वादे के अनुरूप है और न्यायमूर्ति रंजना प्रकाश देसाई की अध्यक्षता वाली राज्य द्वारा नियुक्त समिति द्वारा यूसीसी कार्यान्वयन पर एक व्यापक रिपोर्ट प्रस्तुत करने के साथ मेल खाती है।

पृष्ठभूमि:

• भारतीय संविधान के अनुच्छेद 44 में एक निर्देशात्मक सिद्धांत बताया गया है, जिसमें राज्य से "भारत के पूरे क्षेत्र में नागरिकों के लिए एक समान नागरिक संहिता सुनिश्चित करने का प्रयास करने" का आग्रह किया गया है।

हालाँकि, इस बात को लेकर लंबे समय से बहस चल रही है कि क्या यूसीसी को मौलिक अधिकार के रूप में स्थापित किया जाना चाहिए या एक निर्देशक सिद्धांत बना रहना चाहिए। यह बहस धार्मिक स्वतंत्रता और सांस्कृतिक विविधता पर संभावित उल्लंघन की चिंताओं से उपजी है, साथ ही सामाजिक अशांति की आशंका भी जताई जा रही है।

यूसीसी क्या है और इसकी प्रस्तावित विशेषताएं क्या हैं?

• समान नागरिक संहिता विवाह, तलाक, विरासत और गोद लेने जैसे मामलों को नियंत्रित करने वाले वर्तमान में मौजूद विविध व्यक्तिगत कानूनों को प्रतिस्थापित करने का प्रयास करती है, जिसमें सभी नागरिकों पर उनके धर्म की परवाह किए बिना एक समान कानून लागू होता है।

• उत्तराखंड में यूसीसी का मसौदा, जैसा कि प्रस्तुत रिपोर्ट में बताया गया है, विशेष रूप से विरासत से संबंधित मामलों में पुरुषों और महिलाओं के साथ समान व्यवहार करने वाले प्रावधानों को पेश करके लैंगिक समानता को बढ़ावा देने पर केंद्रित है।

• इसके अतिरिक्त, प्रस्तावित कोड का उद्देश्य व्यक्तिगत व्यक्तिगत कानूनों में वर्तमान में अपनाई जाने वाली कुछ भेदभावपूर्ण प्रथाओं को रद्द करना है, जैसे बहुविवाह, विवाह विच्छेद के बाद मुस्लिम महिलाओं के लिए अनिवार्य इद्दत अवधि और तीन तलाक की प्रथा।

• वर्तमान में केवल 25% हिस्सेदारी के साथ व्यक्तिगत कानून के तहत वंचित मुस्लिम महिलाओं को समान संपत्ति अधिकार प्रदान करना, यूसीसी में प्रस्तावित एक और संभावित बदलाव है।

• हालाँकि, पुरुषों और महिलाओं के लिए विवाह की न्यूनतम आयु क्रमशः 18 और 21 वर्ष ही रहने की उम्मीद है।

• कोड के दायरे में अन्य क्षेत्रों में तलाक प्रक्रिया, विवाह पंजीकरण, गोद लेने की प्रक्रिया, बुजुर्गों के लिए सामाजिक सुरक्षा उपाय और यहां तक कि लिव-इन रिलेशनशिप का अनिवार्य पंजीकरण भी शामिल है।

यूसीसी के लाभ (समर्थकों के अनुसार):

• यूसीसी के समर्थकों का तर्क है कि यह एक एकीकृत शक्ति हो सकती है, राष्ट्रीय एकता को बढ़ावा दे सकती है और नागरिकों के बीच समानता की भावना को बढ़ावा दे सकती है।

• उनका मानना है कि यह मौजूदा व्यक्तिगत कानूनों के भीतर भेदभावपूर्ण प्रथाओं को संबोधित कर सकता है, सामाजिक न्याय और लैंगिक समानता को आगे बढ़ा सकता है।

• इसके अतिरिक्त, उनका तर्क है कि एक एकल, समान कोड कानूनी प्रक्रियाओं को सरल बना सकता है और संभावित रूप से मुकदमेबाजी को कम कर सकता है।

यूसीसी के संबंध में चुनौतियाँ और चिंताएँ:

• यूसीसी के विरोधियों ने एक समान संहिता के कारण धार्मिक स्वतंत्रता पर संभावित उल्लंघन और सांस्कृतिक विविधता के क्षरण के बारे में चिंता व्यक्त की है।

• अल्पसंख्यक समुदायों को डर है कि कोड उनकी परंपराओं और रीति-रिवाजों को कमजोर कर सकता है, जिससे अलगाव और बहिष्कार की भावना पैदा हो सकती है।

• कुछ लोगों का तर्क है कि यदि संहिता को उचित सहमति और विभिन्न सामाजिक मतों के प्रति संवेदनशीलता के बिना लागू किया जाता है तो सामाजिक अशांति फैल सकती है।

• कार्यान्वयन में व्यावहारिक चुनौतियाँ, जैसे मौजूदा व्यक्तिगत कानूनों से सुचारू बदलाव सुनिश्चित करना और कोड की विविध व्याख्याओं के प्रबंधन में संभावित जटिलताओं को भी चिंताओं के रूप में उठाया गया है।

यूसीसी पर विधि आयोग:

• न्यायमूर्ति बलबीर सिंह चौहान की अध्यक्षता में भारत के 21वें विधि आयोग ने 2018 में एक रिपोर्ट प्रस्तुत की जिसमें कहा गया कि देश में मौजूदा व्यक्तिगत कानूनों की विशाल संख्या को देखते हुए, यूसीसी तैयार करना "इस स्तर पर न तो आवश्यक था और न ही वांछनीय।" हालाँकि, वर्तमान में न्यायमूर्ति (सेवानिवृत्त) ऋतुराज अवस्थी की अध्यक्षता वाले 22वें विधि आयोग ने जून 2023 में एक अधिसूचना जारी कर यूसीसी के मुद्दे पर सार्वजनिक और धार्मिक संगठनों के विचार मांगे।

क्या राज्य यूसीसी लागू कर सकते हैं?

• यूसीसी को लागू करने वाले अलग-अलग राज्यों की कानूनी व्यवहार्यता अस्पष्ट बनी हुई है। जबकि संविधान का अनुच्छेद 44 एक निर्देशक सिद्धांत के रूप में कार्य करता है, यह सीधे कानून के रूप में लागू करने योग्य नहीं है।

• सुप्रीम कोर्ट ने यूसीसी कार्यान्वयन को अनिवार्य करने वाला कोई भी निर्देश जारी करने से परहेज किया है क्योंकि ऐसे मामलों पर कानून बनाने की शक्ति संसद के विशेष क्षेत्र में आती है।

हालाँकि, अदालत ने यूसीसी कार्यान्वयन विकल्पों की जांच और खोज करने वाली राज्य-स्तरीय समितियों के गठन के खिलाफ उठाई गई चुनौतियों को खारिज कर दिया है, और इस तरह के अध्ययन करने के राज्यों के अधिकार को बरकरार रखा है।

आगे का रास्ता:

• उत्तराखंड में यूसीसी विधेयक के संभावित पारित होने के साथ, मध्य प्रदेश और गुजरात जैसे अन्य भाजपा शासित राज्य, जिन्होंने यूसीसी अन्वेषण के लिए समितियों का गठन भी किया है, इसका अनुसरण कर सकते हैं।

• यह देखना अभी बाकी है कि केंद्र सरकार राष्ट्रव्यापी यूसीसी को आगे बढ़ाने का फैसला करती है या नहीं। इसके सतर्क रुख अपनाने की संभावना है, व्यक्तिगत राज्य पहलों के परिणामों और 22वें विधि आयोग की सिफारिशों का निरीक्षण करने की प्रतीक्षा की जा रही है।

• इसके अलावा, "संविधान के अनुच्छेद 25 के तहत धार्मिक स्वतंत्रता के अधिकार के दायरे और दायरे" पर सुप्रीम कोर्ट में लंबित एक प्रश्न इस मुद्दे को और अधिक जटिल बना देता है। अदालत द्वारा यह प्रश्न उठाए जाने के बाद से तीन वर्षों में इस प्रश्न पर कोई प्रगति नहीं हुई है।

प्रीलिम्स बूस्टर

एर्गोस्फीयर: ब्लैक होल को कार्यान्वित करना

⚫ घूमते हुए ब्लैक होल, जिन्हें केर ब्लैक होल के नाम से भी जाना जाता है, उनके बाहरी घटना क्षितिज के बाहर एक अद्वितीय क्षेत्र होता है जिसे एर्गोस्फीयर कहा जाता है, जो पदार्थ और ऊर्जा के निष्कर्षण की अनुमति देता है।

🌌 ब्लैक होल का निर्माण तब होता है जब एक विशाल तारा अपने ईंधन को समाप्त कर देता है, जिससे कोर विस्फोट हो जाता है, जिसके परिणामस्वरूप इसके केंद्र में गुरुत्वाकर्षण विलक्षणता के साथ एक ब्लैक होल का निर्माण होता है, जहां सामान्य सापेक्षता की भविष्यवाणियां विफल हो जाती हैं।

🌠 घटना क्षितिज, विलक्षणता के चारों ओर का एक क्षेत्र, इसमें प्रवेश करने वाली किसी भी चीज़ के लिए कोई वापसी नहीं होने के बिंदु को चिह्नित करता है, क्योंकि भागने के लिए प्रकाश की तुलना में तेज़ यात्रा की आवश्यकता होगी। इस क्षेत्र से परे, एक घूमते हुए ब्लैक होल में एक एर्गोस्फीयर होता है, जहां वस्तुएं प्रकाश की तुलना में कम गति पर चलते हुए प्रवेश कर सकती हैं और निकल सकती हैं।

🔮 शब्द 'एर्गोस्फीयर' ग्रीक शब्द 'एर्गोन' से लिया गया है, जिसका अर्थ है 'कार्य', जो घटना क्षितिज से परे, इस क्षेत्र से पदार्थ और ऊर्जा निकालने की क्षमता को दर्शाता है।

🚀 कुछ वैज्ञानिकों ने भविष्य में अन्वेषण और प्रयोग के लिए दिलचस्प संभावनाएं पेश करते हुए, इस क्षेत्र में भेजकर वस्तुओं को गति देने की एर्गोस्फीयर की क्षमता का लाभ उठाने का प्रस्ताव दिया है।

🥋 गतका आत्मरक्षा मार्शल आर्ट का एक रूप है जो शारीरिक तेजतर्रारता को पवित्र भक्ति के साथ जोड़ता है, जिसे अक्सर 'आदि-शक्ति योग' के रूप में जाना जाता है। यह एक आध्यात्मिक अभ्यास है जो मार्शल आर्ट के एक रूप से आगे बढ़कर सोचने और आनंद और संतुष्टि के साथ जीने के तरीके पर जोर देता है।

योद्धा का दिन

रविवार को अमृतसर में सिख योद्धा शहीद बाबा दीप सिंह की जयंती मनाने के लिए एक धार्मिक जुलूस के दौरान युवाओं ने सिख मार्शल आर्ट की एक प्राचीन शैली गतका का प्रदर्शन किया।

- 🗡️ गतका का इतिहास और उत्पत्ति पंजाबी संस्कृति से पता लगाया जा सकता है, जहां यह लकड़ी की छड़ियों को हथियार के रूप में उपयोग करता है और इसे सिख इतिहास में संरक्षित किया गया है। 16वीं और 17वीं शताब्दी के दौरान मुगलों और उनके अत्याचारों से खुद को बचाने के लिए सिख योद्धाओं द्वारा इसका बड़े पैमाने पर इस्तेमाल किया गया था। श्री गुरु हर गोबिंद सिंह जी 2 तलवारें रखते थे - मिरी और पीरी, जो क्रमशः ताकत और आध्यात्मिकता का प्रतीक थीं। गुरु गोबिंद सिंह जी को सर्वकालिक महान गतका योद्धा के रूप में जाना जाता है।
- 🛡️ गतका में नंगे हाथ युद्ध से लेकर तलवार, कृपाण, लाठी, कुल्हाड़ी और ढाल जैसे विभिन्न हथियारों का उपयोग करना शामिल है, जिसके लिए सख्त अनुशासन और एकाग्रता की आवश्यकता होती है। इसमें सिखों के उत्साह को बढ़ाने के लिए पगड़ी, बेल्ट, ड्रम और गुरबानी का पाठ जैसी गैर-लड़ाकू वस्तुएं भी शामिल हैं।

- 🥋 **कलारीपयट्टू केरल** में उत्पन्न एक प्राचीन भारतीय मार्शल आर्ट रूप है, जिसमें प्रहार, किक, हाथापाई, हथियार और उपचार विधियों सहित तकनीकों की एक विस्तृत श्रृंखला शामिल है।
- 🏹 उत्पत्ति और इतिहास: कलारीपयट्टू 3,000 साल से अधिक पुराना है, माना जाता है कि इसे योद्धा-ऋषि परशुराम द्वारा विकसित किया गया था और शुरुआत में इसका अभ्यास युद्ध और आत्मरक्षा के लिए किया जाता था।

- ⚔️ प्रशिक्षण और तकनीक: इसमें कठोर शारीरिक कंडीशनिंग, लचीलापन अभ्यास और निहत्थे युद्ध, सशस्त्र युद्ध और तलवार, ढाल और भाले जैसे पारंपरिक हथियारों की महारत शामिल है।
- 💪 कलारीपयट्टू के तत्व: इसमें शारीरिक तकनीक, मानसिक अनुशासन और उपचार पद्धतियां शामिल हैं, जिसमें प्रहार करना, लात मारना, हाथापाई करना, कुश्ती करना और युद्ध और उपचार के लिए महत्वपूर्ण बिंदुओं का अध्ययन शामिल है।
- 🗡️ पारंपरिक हथियार: कलारीपयट्टू में तलवार, ढाल, लाठी, भाला और उरुमी जैसे पारंपरिक हथियारों का उपयोग शामिल है, जो एक लचीली तलवार जैसा हथियार है।
- 🌍 अन्य मार्शल आर्ट पर प्रभाव: कलारीपयट्टू ने एशियाई मार्शल आर्ट के विभिन्न रूपों जैसे कुंग फू और कराटे सहित अन्य मार्शल आर्ट के विकास को प्रभावित किया है, जो इसके ऐतिहासिक महत्व को दर्शाता है।

t.me/pragyeshIASMENTOR Pragyesh IAS pragyesh.org